

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 03 जुलाई, 2021

विषय- कोविड-19 महामारी से मृत व्यक्तियों की विधवाओं के पक्ष में तत्काल वरासत दर्ज कराने एवं पात्रता की परिधि में आने पर उन्हें कृषि एवं आवासीय भूमि का पट्टा अभियान चलाकर प्राथमिकता पर दिये जाने के सम्बंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 महामारी से मृत भूमिधर की अविवादित वरासत उनकी विधवा सहित विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में तत्काल दर्ज करायी जाये। इस हेतु मृत भूमिधर की विधवा से किसी आवेदन पत्र की आवश्यकता नहीं है, अपितु सम्बंधित क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा आवश्यक विवरण एकत्र करके वरासत दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

2. उक्त के अतिरिक्त यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 महामारी से पति की मृत्यु के फलस्वरूप जो विधवा निराश्रित हो गयी हैं व उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है तथा आवास की समुचित व्यवस्था नहीं है, ऐसी निराश्रित विधवा महिलाओं के पक्ष में अभियान चलाकर उनकी पात्रता के अनुसार कृषि योग्य एवं आवासीय भूमि पट्टा आवंटित किये जाये। आवास की पात्रता होने की दशा में ग्राम्य विकास विभाग से सम्पर्क कर आवास निर्माण हेतु कार्यवाही की जाए।

3. उपर्युक्त कार्यवाहियां अभियान चलाकर प्रत्येक दशा में 15 दिन के भीतर यानि कि दिनांक 18.07.2021 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाय। मण्डलायुक्त द्वारा इसकी सतत समीक्षा की जाय एवं सम्पूर्ण विवरण राजस्व परिषद् के माध्यम से शासन को दिनांक 20.07.2021 तक अवश्य उपलब्ध कराया जाय।


कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,  
  
(मनोज कुमार सिंह) 3.7.21  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-443(1)/एक-11-2021, तददिनांक

**प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश, शासन।
2. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित उपर्युक्तानुसार सम्पूर्ण विवरण शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. विशेष सचिव, राजस्व अनुभाग-2 एवं 9 को इस आशय से प्रेषित कि इस सम्बन्ध में नियमित रूप से अनुश्रवण कर समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
8. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय को राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड कराने हेतु।
9. अनुभाग अधिकारी, राजस्व अनुभाग-11 को <http://shasanadesh.up.gov.in> वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

आज्ञा से,  
  
( राम कवेल )  
विशेष सचिव।